न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, औरैया

सत्र वाद संख्या–995/2025
राज्य बनाम वेद सिंह आदि

मु०अ०सं०-**438/2025**
धारा-**8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट**
थाना-**औरैया** जिला-औरैया

आरोप

मैं पारूल जैन, अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, औरैया, आप अभियुक्तगण **वेद सिंह, मिसपेन्द्र व शिवदत्त** पर निम्नलिखित आरोप आरोपित करती हूँ-

1. यह कि आप लोगो को दिनांक 22.06.2025 को समय 03.50 बजे स्थान बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस वे के, ईटावा की तरफ ऊतार पर हाईवे पर, क्षेत्रान्तर्गत वादी उपनिरीक्षक मो० शकील मय हमराहियान ने गिरफ्तार किया तथा आप लोगो की जामातलाशी लेने पर आप लोगो के पास से ट्रक डीसीएम नम्बर UP25HT2257 से 8 अदद गांजे से भरी वोरिया जिसका कुल वजन 96.870 कि०ग्रा० गांजा नाजायज बरामद हुआ है, जिसे आप लोग बेचने के लिये लेकर जा रहे थे, उक्त बरामदशुदा गांजा को रखने का आप लोगो के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था। इस प्रकार आप लोगो ने धारा-8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया है जो मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्वारा मैं आप लोगो को निर्देशित करती हूँ कि उक्त आरोप हेतु आप लोगो का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक–09.07.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, आरोप से अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

दिनांक–09.07.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.07.09 15:45:47 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम/विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट, औरैया</u>

सत्र वाद संख्या–995/2025
राज्य बनाम वेद सिंह आदि

मु०अ०सं०–438/2025
धारा-**8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट**
थाना–**औरैया** जिला–औरैया

<u>दिनांक–09.07.2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण **वेद सिंह, मिसपेन्द्र व शिवदत्त** स्वयं उपस्थित तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

उभयपक्षों को आरोप विरचन पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी द्वारा तर्क दिया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट का आरोप विरचित किया जाए।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचन का कोई औचित्य नहीं है। अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण को उन्मोचित किया जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन प्रपत्रों में उल्लिखित तथ्यों के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप विरचित करने का पर्याप्त आधार है।

अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप विरचन हेतु पत्रावली पेश हो।

दिनांक–09.07.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्तगण **वेद सिंह, मिसपेन्द्र व शिवदत्त** के विरूद्ध धारा 8/20/23 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप विरचित किया गया। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाया व समझाया गया, अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 23.09.2026 को पेश हो।

दिनांक–09.07.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।